

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1666] No. 1666] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2015/श्रावण 19, 1937

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2015/SRAVANA 19, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2015

का.आ. 2160(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री न्यायमूर्ति जी. पी. मित्तल (सेवानिवृत्त) को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अविध के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पूर्वत्तर हो, भारत प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य के रुप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 5/22/2014-सीएस]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2015

S.O. 2160(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 read with sub-section (1) of Section 10 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints Shri Justice G. P. Mittal (Retired) as Member of the Competition Commission of India from the date of his assumption of charge of the post for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 5/22/2014-CS]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

3399 GI/2015